संख्या- 63 / 2019/ 607 / चार-2019- 110(वि0)/2017

प्रेषक,

शिशिर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक 10 मार्च , 2019**

विषय:- जनपद बलरामपुर में इमिलिया कोडर में या उसके आस-पास थारू जनजाति से संबंधित संस्कृति को संरक्षित रखने के संबंध में संग्रहालय के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 1619 /उ0प्र0सं0नि0-5(49)/2017-18 दिनांक 07 मार्च, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में जनपद बलरामपुर में इमिलिया कोडर में या उसके आस-पास थारू जनजाति से संबंधित संस्कृति को संरक्षित रखने के संबंध में संग्रहालय के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था कन्सट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ के आगणन रू0 2285.97 लाख के सापेक्ष प्रायोजना, रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित लागत रू0 1737.30 लाख (जी0एस0टी0 अतिरिक्त नियमानुसार देय) के संबंध में रू0 1737.30 लाख (जी0एस0टी0 अतिरिक्त नियमानुसार देय) की प्रशासकीय एवं रू0 400.00 लाख (रूपये चार करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

2- उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की जाती है कि स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा और स्वीकृत मदों पर ही व्यय की जायेगी, अन्य मदों अथवा व्यय की नई मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी और स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे तत्काल राजकोष में जमा किया जायेगा । यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। उक्त आहरित धनराशि को बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी। उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के मितव्यता सम्बन्धी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/ 2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के नियमों व इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानको (स्टैण्डडर्स आफ फाइनेशियल प्रोप्राइटरी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

4- प्रायोजना में जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविकता/नियमानुसार देय होगी। तद्नुसार संशोधित प्रायोजना प्रस्ताव को पुन- प्रभाग में परीक्षण हेतु लाये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

5- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित वाहय विद्युत संयोजन हेतु एकमुश्त रू0 30.00 लाख के सापेक्ष प्रभाग द्वारा एकमुश्त रू0 10.00 लाख अनुमन्य किया गया है। अत: निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व विद्युत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

संयोजन हेतु विद्युत विभाग से विस्तृत आगणन प्राप्त कर लिया जाए तथा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त की जाय।

6- प्रश्नगत प्रायोजना प्रस्ताव चूंकि संग्रहालय से संबंधित है, जो कि मानकीकृत नहीं है। अत: प्रभाग द्वारा आगणन में प्रस्तावित विभिन्न जियोमैट्रिक पैरामीटर यथा- लम्बाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई आदि को यथावत मानते हुए परीक्षण किया गया है। उक्त से संबंधित मात्राओं का समस्त उत्तरदायित्व निदेशक संग्रहालय निदेशालय/ कार्यदायी संस्था का होगा।

7- प्रायोजना प्रस्ताव में उद्यानीकरण मद में रू0 62.47 लाख के प्राविधान के सापेक्ष एकमुश्त रू0 15.00 लाख की धनराशि अनुमन्य की गयी है, जो विस्तृत आगणन/न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर देय होगी।

8- प्रस्ताव/आगणन में एयरकन्डीशनर (बी0आर0वी0 सिस्टम) हेतु रू0 221.12 लाख का प्राविधान किया गया है। प्रायोजना की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए प्रभाग का सुझाव है कि निदेशक, संग्रहालय निदेशालय द्वारा इसके आवश्यकता एवं औचित्य पर समुचित विचार करने के उपरान्त ही इसकी स्थापना की जाय।

9- प्रायोजना प्रस्ताव में 63 एवं 125 के0वी0ए0 डी0जी0सेट, ट्रान्सफार्मर, आर0ओ0 प्लान्ट, इन्वर्टर एवं एल0टी0 पैनल (सब स्टेशन) के क्रय की धनराशि के संबंध में इसके क्रियान्वयन से पूर्व निदेशक, संग्रहालय निदेशालय/कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त की जाएंगी। चूंकि यह प्रोपाइटरी श्रेणी के कार्य हैं एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसिफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अत: निदेशक, संग्रहालय निदेशालय/कार्यदायी संस्था निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।

10- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए लागत का अनुमोदन किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, संग्रहालय निदेशालय/कार्यदायी संस्था का होगा।

11- प्राविधानों को यथावत मानते हुए लागत का परीक्षण यिका गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व का उल्लेख संबंधित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।

12- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प निदेशक, संग्रहालय निदेशालय द्वारा यह युनिश्चित कर ले कि उक्त कार्य न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

13- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 92- के अधीन लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति-106-संग्रहालय-10-जनपद बलरामपुर में इमिलिया कोडर व उसके आस-पास थारू जनजाति की संस्कृति के संरक्षण हेतु संग्रहालय-24- वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

14- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/ 2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(शिशिर)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

संख्या- 63 / 2019/ 607 / चार-2019- 110(वि0)/2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- निदेशक, कन्सट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
6- निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिशिर)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।